चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 27.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में,थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम करकापडरिया में,थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम गोपीपुर में,थाना सरधुवा द्वारा सरधुवा स्कूल में,थाना मानिकपुर द्वारा रेलवे स्टेशन मानिकपुर पर,थाना कोतवाली कर्वी द्वारा पोस्ट ऑफिस कर्वी में,) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदवासियों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने एवं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चित्रकूट पुलिस द्वारा साइबर जागरुकता माह अक्टूबर 2026 के तहत व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 28.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में जनपद के समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा (थाना बरगढ़ पुलिस द्वारा जीआआसी इण्टर कॉलेज बरगढ़ में, थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा केन्द्रीय विद्यालय कर्वी में , थाना राजापुर पुलिस द्वारा तुलसीघाट राजापुर में एवं समस्त थानों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में) स्थानों पर साइबर जागरूकता का नियमित अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए।
कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं, बालिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकगण को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार, उनसे बचाव के उपाय तथा साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं आमजन द्वारा साइबर अपराध से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया।
चित्रकूट पुलिस द्वारा आमजन को बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, फर्जी कॉल, मैसेज, लिंक, सोशल मीडिया अकाउंट एवं मोबाइल एप के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें।
साइबर अपराध से बचने हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां
किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट विवरण, एटीएम/डेबिट कार्ड नंबर, पिन, CVV एवं OTP किसी भी स्थिति में साझा न करें।
एटीएम का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा किसी अनजान व्यक्ति की सहायता न लें।
बैंक या किसी अन्य संस्था के नाम पर आने वाले संदिग्ध फोन कॉल, मैसेज एवं लिंक पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें।
डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से सावधान रहें। पुलिस अथवा कोई सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल पर पूछताछ के नाम पर आपको घर में कैद रहने या पैसे भेजने के लिए बाध्य नहीं करता।
अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, जन्मतिथि, बैंक संबंधी जानकारी आदि किसी अनजान व्यक्ति के साथ फोन, ई-मेल, SMS, फेसबुक, व्हाट्सएप अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा न करें।
बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, कैशबैक, दीपावली ऑफर, KBC अथवा अन्य लुभावने ऑफर के नाम पर बैंक डिटेल या OTP मांगने वालों से सावधान रहें।
किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर AnyDesk, TeamViewer अथवा किसी अन्य रिमोट एक्सेस एप को मोबाइल में इंस्टॉल न करें।
टेलीग्राम/व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ट्रेडिंग, गेमिंग अथवा निवेश में अधिक लाभ का लालच देने वाले लिंक एवं APK फाइलों से सावधान रहें। अनजान लिंक से कोई एप डाउनलोड न करें।
कम समय में पैसा दोगुना करने, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर अत्यधिक रिटर्न दिलाने अथवा घर बैठे अधिक कमाई कराने वाली संदिग्ध योजनाओं के लालच में न आएं।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), ब्लॉग, चैट रूम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी, घर का पता, फोन नंबर, जन्मतिथि एवं वर्तमान लोकेशन सार्वजनिक रूप से साझा न करें।
पुलिस/साइबर अधिकारी बनकर यदि कोई व्यक्ति फोन कर आपके बच्चे के विरुद्ध बलात्कार, अपहरण आदि का मामला बताकर अथवा आपके द्वारा अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर पैसे की मांग करे तो घबराएं नहीं और किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर न करें।
किसी भी संदिग्ध लिंक, QR कोड या वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग जानकारी दर्ज न करें।
ऑनलाइन खरीदारी करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइट एवं आधिकारिक एप का ही प्रयोग करें।
सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से प्राप्त वीडियो कॉल, फोटो एवं लिंक को स्वीकार/ओपन करने में सावधानी बरतें।
अपने सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन अकाउंट में मजबूत पासवर्ड एवं जहां संभव हो Two-Factor Authentication (2FA) का प्रयोग करें।
साइबर ठगी होने पर तत्काल करें शिकायत
यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, UPI फ्रॉड, साइबर ठगी या किसी अन्य प्रकार का साइबर अपराध हो जाता है तो घबराएं नहीं और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।
साथ ही साइबर अपराध की शिकायत https://www.cybercrime.gov.in पर भी दर्ज की जा सकती है। ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने से धनराशि को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ जाती है।
चित्रकूट पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, PIN, CVV अथवा बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें तथा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 पर सूचना दें।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए 02 परिवारों को टूटने से बचाया।
आवेदिका उमा पत्नी दीपक निवासी जमहिल थाना पहाडी जनपद चित्रकूट द्वितीय पक्ष पति दीपक निवासी उपरोक्त जनपद चित्रकूट 2.खुशबू देवी पत्नी उत्तम कुमार निवासी बगलई चौकी शिवरामपुर द्वितीय पक्ष उत्तम कुमार पुत्र देवशरण निवासी पतवन थाना बबेरु जनपद बांदा के विरुद्ध गाली गलौज कर मारपीट,अतिरिक्त दहेज की मांग करने आदि के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह ,महिला आरक्षी शिवाग्गी, महिला आरक्षी अनामिका सिंह शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।
समझौता कराने वाली टीमः-
1.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
2.महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव

3.महिला आरक्षी अनामिका

(4)..पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी एवं थाना मानिकपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने जड़ेरा जंगल झरी फाटक के पास गैंगरेप की घटना में शामिल 50 हजार रुपए के इनामिया अभियुक्त को 01 देशी राइफल 315 बोर, 06 अदद खोखा व 01 जिन्दा कारतूस, 01 चिड़िया मारने वाली बंदूक व चोरी की 02 मोटरसाइकिल व चोरी का 01 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

इनामिया अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

सुभाष उर्फ लल्लू उर्फ लाला पुत्र जगजीत वर्मा निवासी करवई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा

इनामिया अभियुक्त सुभाष उर्फ लाला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं033/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीआरपी बांदा

2.मु0अ0सं0101/26 धारा धारा 70(2),127(2),351(3),304(2),131 बीएनएस व 5G/6 पॉक्सो एक्ट थाना मानिकपुर

3.मु0अ0सं0 177/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना मानिकपुर

4.मु0अ0सं0 47/26 दारा 303(2) बीएनएस थाना मारकुण्डी

बरामदगी-

1. 01 देशी राइफल 315 बोर,
2. 01 चिड़िया मारने वाली बंदूक
3. 01 जिन्दा कारतूस व 06 अदद खोखा कारतूस
4. चोरी की 02 मोटरसाइकिल
5. चोरी का 01 मोबाइल

गिरफ्तारी का दिनाँक/स्थान/समय-

झरी फाटक, चूल्ही जाने वाले मोड़ से 1 किमी आगे रास्ते पर,थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट। /27.10.2026/ 15.05 बजे

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.07.2026 को नाबालिग पीड़िता ने थाना मानिकपुर में सूचना दी कि दिनांक 13.07.2026 को समय करीब 12.00 बजे दिन वह अपने साथी के साथ झरी फाटक से आगे करीब 1 किमी जाकर कच्चे रास्ते से जंगल की ओर चेकडैम के पास गई थी, जहाँ 03 लड़के चैकडेम नहा रहे थे उन तीनों ने पीड़िता व उसके साथी को असलहा दिखाकर डरा-धमकाकर जंगल के अंदर ले गए, साथी के दोनों हाथ पीड़िता के दुपट्टे से पीछे बांध दिए और पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

बाद में दो अभियुक्त साथी की मोटरसाइकिल की चाबी लेकर खाने-पीने का सामान लेने मानिकपुर चले गए। इसी दौरान साथी मौके से भागने में सफल रहा। वापस आने पर अभियुक्तगण पीड़िता को करीब 3-4 घंटे जंगल में रोकने के बाद उसके साथी की मोटरसाइकिल पर बैठाकर मारकुंडी, हनुमानधारा होते हुए कर्वी पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया और जान से मारने की धमकी देकर किसी को न बताने को कहा था।

इस सूचना के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 101/2026 धारा 70(2),127(2),351(3),304(2),131 बीएनएस व 5G/6 पॉक्सो एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में घटना में शामिल अभियुक्त 1.अखिलेश उर्फ जरैला पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी करबई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा व पीडिता का साथी 2.जिन्नू कोल पुत्र रघुनन्दन कोल निवासी गेदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 3.अखिलेश पुत्र शिवपूजन रैदास निवासी करवई कोतवाली देहात जनपद बांदा(25 हजार का इनामिया) को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना में शामिल फरार अभियुक्त सुभाष उर्फ लल्लू उर्फ लाला पुत्र जगजीत वर्मा निवासी करवई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र,बांदा द्वारा 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया।

इसी क्रम में दिनाँक 27.10.2026 को प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर व SOG की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल फरार इनामिया अभियुक्त सुभाष उर्फ लल्लू उर्फ लाला की तलाश में रवाना होकर झरी फाटक पर मौजूद थे कि मुखबिर ने आकर बताया कि वही इनामिया अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल के साथ चूल्ही जाने वाले मोड़ के आस पास कोई घटना करने के फिराक में जंगल क्षेत्र में घूम रहा है जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को आवश्यक बल प्रयोग कर उसे पकड़ा गया। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम सुभाष उर्फ लल्लू उर्फ लाला पुत्र जगजीत वर्मा निवासी करवई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा बताया जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद एंड्रॉयड फोन वीवो ,01 आधार कार्ड व 140 रुपये बरामद हुए तथा उसके पास मिली बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल जिसको ई-चालान से चेक करने पर उसका असली नंबर UP96U1482 होना पाया गया जो थाना मानिकपुर के मु0अ0सं0 177/26 धारा 303(2) बीएनएस की चोरी की है, कड़ाई से पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 13.07.2026 को जड़ेरा जंगल झरी फाटक में वह अपने साथियों के साथ मौजूद था जहाँ एक लड़का-लड़की मोटरसाइकिल से आए थे जिन्हें असलहा दिखाकर डरा-धमकाकर गलत काम किया था और लड़के की मोटरसाइकिल लेकर भाग गए थे तथा घटना में प्रयुक्त देशी राइफल 315 बोर, चिड़िया मार बंदूक व 01 जिंदा व 06 खोखा कारतूस को और चोरी गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को उमरी गाँव के काशीराम कॉलोनी के ब्लॉक नं0 8 में घास-फूस से छिपा दिया था जिसे उसकी निशानदेही पर मौके से बरामद किया गया। अभियुक्त के जेब से बरामद एंड्रॉयड फोन के बारे में पूछने पर बताया कि दिनांक 04.08.2026 को थाना मारकुण्डी क्षेत्र के घाटी मोड़ अमचूर निरुवा के पास मोटरसाइकिल पर रखे बैग को अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की थी जिसमें से 02 मोबाइल मिले थे जिसमें से एक वही यह मोबाइल है दूसरा मोबाइल रघु कोल के पास है। इस सम्बन्ध में थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 47/26 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत है। मुकदमों में माल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस व अवैध असलहा की बरामदगी के सम्बन्ध में 3/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक एसओजी श्री एमपी. त्रिपाठी

2. उ0नि0 प्रवीण कुमार सिंह

3. मु0आ0 नीतेश समधिया

4.आ0 रोहित सिंह

5. का0 रोशन सिंह

6. का0 गोलू भार्गव
7. का0 ज्ञानेश मिश्रा
8. का0 पवन राजपूत
9. का0 जयनारायण पटेरिया

गिरफ्तार करने वाली थाना मानिकपुर टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 कमलेश कुमार पाण्डेय
3. उ0नि0 गौरव तिवारी
4. उ0नि0 वंशनारायण सिंह
5. हे0का0 आदित्य
6. हे0का0 सज्जन सिंह
7. का0 शरद कुमार सिंह

(5). आज दिनांक 28.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा IGRS (जनसुनवाई पोर्टल) पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा हेतु गूगल मीट के माध्यम से जनपद के समस्त थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों एवं हल्का प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान माह अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर 2026 में मुख्यमंत्री संदर्भ, ऑनलाइन संदर्भ, पीजी पोर्टल एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि IGRS पोर्टल पर प्राप्त होने वाले समस्त संदर्भों की नियमित रूप से निगरानी की जाए तथा प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से निर्देश दिए गए कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थानों पर प्राप्त शिकायतों की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब न होने दें। शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे आमजन को समय से न्याय मिल सके तथा पुलिस के प्रति जनविश्वास और अधिक मजबूत हो।

समीक्षा के दौरान जिन थानों में प्रार्थना पत्रों एवं शिकायतों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई, उन थानों के संबंधित प्रभारियों को चेतावनी निर्गत की गई। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शिकायतों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि होने अथवा IGRS संदर्भों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों एवं हल्का प्रभारियों को निर्देशित किया कि IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा शासन की जनशिकायत निस्तारण व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करें।

(6). आज दिनाँक 28.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा जनप्रतिनिधियों से जनपद में आमजन को होने वाली समस्याओं एवं कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा बेहतर कानून-व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु उनके सुझाव लिये गये।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया कि जनपद में कानून-व्यवस्था को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाए रखने तथा आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु पुलिस द्वारा निरन्तर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गोष्ठी में माननीय मऊ मानिकपुर विधायक श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव , कोआपरेटिव बैंक चित्रकूट बांदा अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता रवि त्रिपाठी उपस्थित रहे।